

परिशिष्ट-(1)

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग

नि:शुल्क

नि:शक्त दंपत्ति  
का संयुक्त  
फोटो

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक  
सामाजिक न्याय, जिला .....  
द्वारा
2. आयुक्त  
नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी .....  
जिला .....
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जनपद पंचायत .....,  
जिला .....

विषय :— नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र।

भाग—अ

आवेदिका के उपयोग हेतु

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक यदि हो तो

--	--	--	--	--	--	--

1. आवेदक का नाम .....
2. आवेदक के पिता / अभिभावक का नाम .....
3. आवेदक की माता का नाम .....
4. निवास का पता .....
5. आवेदक की जन्म तिथि — दिनांक  माह  वर्ष

6. आवेदक के विवाह के समय आयु .....
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
8. आवेदक की वार्षिक आय .....  
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. विवाह का स्थान ..... विवाह का दिनांक .....
10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ ..... (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)
11. निःशक्ता की श्रेणी ..... अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/मंदबुद्धि  
एवं निःशक्ता का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र)
12. आवेदक का बचत खाता

आवेदक (खाताधरक) का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आवेदिका के उपयोग हेतु

भाग-ब

आवेदिका का समग्र कोड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदिका का आधार कार्ड क्रमांक

--	--	--	--	--	--	--	--

आवेदिका का बीपीएल कार्ड क्रमांक यदि हो तो

--	--	--	--	--	--	--

1. आवेदिका का नाम .....
2. आवेदिका के पिता/अभिभावक का नाम .....
3. आवेदिका की माता का नाम .....
4. निवास का पता .....

अभिकथन (रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम सत्य निष्ठा से यह वचन देते हैं कि

1. यह कि मैं/हम निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-2 में वर्णित निःशक्तता की श्रेणी और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता रखते हैं जिसके लिये सक्षम चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
2. यह कि हमने धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/न्यायालय के समक्ष दिनांक ..... को विवाह किया है।
3. यह कि हम दम्पत्ति आयकरदाता नहीं हैं।
4. यह कि हम दम्पत्ति का अन्य कोई विवाहित पति/पत्नी नहीं है और न ही हमने पूर्व में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त की है।
5. यह कि हमारे ऊपर किसी तरह का अपराधिक/महिला उत्पीड़न का वाद नहीं चल रहा है।
6. यह कि हम यह भी कथन करते हैं कि निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यदि हम दम्पत्ति 5 साल की अवधि के पूर्व विवाह विच्छेद होता है या विवाह सम्बन्ध ..... है तो शासन द्वारा स्वीकृत की गई राशि निराश्रित निधि के खाते में जमा करेंगे। यदि यह राशि हम जमा नहीं करते हैं तो शासन भू-राजस्व के तहत राशि वसूल कर सकता है।
7. यह कि हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सही है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

पति के हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पूर्ण पता

पत्नी के हस्ताक्षर .....  
नाम एवं पूर्ण पता

निःशक्ति विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत जांच प्रतिवेदन

जांचकर्ता अधिकारी का नाम .....

पद .....

जांच का दिनांक .....

1. आवेदिका का नाम : .....

2. निवास का पूर्ण पता : .....

3. आवेदिका के पिता का नाम : .....

माता का नाम : .....

माता/पिता के न होने पर अभिभावक का नाम : .....

4. निवास का पूर्ण पता : .....

5. जन्मतिथि/आयु :-

कन्या - दिनांक  माह  वर्ष  विवाह दिनांक के दिन आयु .....

वर - दिनांक  माह  वर्ष  विवाह दिनांक के दिन आयु .....

6. आवेदक परिवार के आय के स्रोत और .....

वार्षिक आय .....

7. परिवार बी.पी.एल. श्रेणी में आता है तो कार्ड क्रमांक व दिनांक .....

8. श्रमिक संवर्ग योजना के अंतर्गत पंजीयन .....

9. आवेदिका विधवा/परित्यक्तता श्रेणी की है तो उसका विवरण .....

### जांच अधिकारी की टीप :-

- (अ) जांच अधिकारी का विवाह के संबंध में जिसमें कन्या/वर की निर्धारित आयु पूर्ण कर ली है अथवा नहीं/कन्या बी.पी.एल. कार्डधारी है या पंजीकृत श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत आती है, को देखते हुये स्पष्ट अनुशंसा अंकित की जावे .....
- .....
- ब) जांच उपरांत कन्या अपात्र पाये जाने का मुख्य कारण अंकित करें .....
- .....

दिनांक

जांच अधिकारी के  
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

5. आवेदिका की जन्म तिथि – दिनांक  माह  वर्ष
6. आवेदिका के विवाह के समय आयु
7. जाति/वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य)
8. आवेदिका की वार्षिक आय .....  
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर)
9. विवाह का स्थान ..... विवाह का दिनांक .....
10. विवाह किस रीति से संपन्न हुआ ..... (प्रमाण पत्र/शपथ पत्र)
11. निःशक्ता की श्रेणी ..... अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/श्वणबाधित/मंदबुद्धि  
एवं निःशक्ता का प्रतिशत (चिकित्सक का प्रमाण पत्र)
12. आवेदक का बचत खाता

आवेदिका (खाताधरक) का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

\_\_\_\_\_

आवेदिका के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

नोट : आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये :-

1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. चिकित्सक द्वारा जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. आयकरदाता न होने का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
4. आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. निःशक्त दंपति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज फोटो।
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
7. परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति।